# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
## पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 67/2022 वाद GCMS No. 2022/

श्रीमति दुर्गा पत्निश्री बाबुलालजी जाति मीणा उम्र 38 वर्ष निवासी– पानवा फला बारापाल तहसील– गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)

वादीया

बनाम

1. श्री उँकार पिताश्री चतराजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– बारापाल तह0 गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज0)
2. श्री नाकुड़ा पिताश्री भेराजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी – खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
3. श्री परथा पिताश्री भेराजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह0 गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
4. श्री रामा पिताश्री हकराजी मृतक के बजाय
   - 4/1 श्री थावरा पितास्व०श्री रामाजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज0)
   - 4/2 श्री अशोक पिता स्व०श्री रामाजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज0)
   - 4/3 श्रीमति लालकी पत्नि स्व०श्री रामाजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज0)
5. श्री लक्ष्मण पिता श्री भेराजी जाति मीणा मृतक के बजाय
   - 5/1 श्री पप्पु पितास्व०श्री लक्ष्मणजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरीहामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
   - 5/2 श्री प्रकाश पितास्व० श्री लक्ष्मणजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
6. श्री शान्तिलाल पिताश्री हकराजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
7. श्री सोमा पिताश्री हकराजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
8. श्री हरजी पिताश्री हकराजी जाति मीणा मृतक
   - 8/1 श्री जगदीश पितास्व०श्री हरजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>उपस्थित :–</u>

1. श्री भूरालाल डांगी अधिवक्ता वादी

## <u>निर्णय</u>

दिनांक :

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.08.07 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी [illegible] वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का [illegible] कर अंकित किया कि राजस्व

ग्राम खजुरी, पटवार क्षेत्र बारापाल तहसील – गिर्वा, जिला उदयपुर में निम्नलिखित आराजी संख्या 6255, 6256, 6260 कुल किता– 3 कुल रकबा 2.5400 हेक्टेयर वर्तमान राजस्व रेकर्ड में वादिया के नाम 2/3 हिस्से से दर्ज हैं। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या एक उकार के नाम 1/6 हिस्से से, प्रतिवादी संख्या दो नाकुड़ा के नाम 1/36 वें हिस्से से प्रतिवादी संख्या तीन परथा के नाम 1/36 वां हिस्सा, मु0 जवेरी पत्नि हकरा के नाम 1/60 हिस्से से दर्ज हैं, श्रीमति जवेरी की मृत्यु हो चुकी हैं जिसके विधिक वारीस रामा पिता हकरा था जिसका भी निधन हो चुका हैं रामा पिता हकरा के नाम भी 1/60 हिस्सा दर्ज हैं जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 4/1 से 4/3 हैं। श्री लक्ष्मण पिता भेरा के नाम 1/36 नाम वां हिस्सा दर्ज हैं। लक्ष्मण पिता भेराजी का निधन हो गया हैं जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या संख्या 5/1 से लगायात 5/2 हैं। प्रतिवादी संख्या 6 शान्तिलाल के नाम 1/60 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या सात सोमा के नाम 1/60 हिस्से से दर्ज हैं। हरजी पिता हकरा के नाम 1/60 वां हिस्सा दर्ज है, जिनका निधन हो चुका हैं जिसके विधिक वारिसान प्रतिवादी संख्या 8/1 हैं। उक्त अनुसार उक्त भूमि खातेदारन के खातेदारी हक से संयुक्त रूप से दर्ज है। इसी हिस्सेनुसार मौके पर अलग अलग काबिज हैं किन्तु भूमि का बन्ध एवं माप से विभाजन नहीं हुआ हैं। उक्त भूमि का वादिया एवं प्रतिवादीगण के मध्य कभी भी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भूमि का विभाजन नहीं हुआ है तथा भूमि का विकास करने लोन आदि लेने में भारी असुविधा होती है तथा प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि में बिना विधिक विभाजन कराये वादिया के कब्जे काश्त की भूमि पर कब्जा करने की नियत आये दिन बाधा उत्पन्न करते है और वादिया को अपने हिस्से की भूमि से वंचित करने की गरज से तंग व परेशान करते हैं और अपने हिस्से की भूमि का सही तरिके से उपयोग उपभोग नहीं कर पा रही हैं तथा बिना विभाजन कराये मौके पर निर्माण करने पर भी आमदा हैं जबकि वादग्रस्त भूमि का वादिया व प्रतिवादी संख्या एक से आठ के मध्य विधिक विभाजन नहीं हुआ हैं मौके पर भूमि की कमी पेशी हैं, वादिया द्वारा प्रतिवादीगण को वादग्रस्त भूमि के विभाजन बाबत् तथा बिना विभाजन मौके पर निर्माण नहीं करने बाबत् कहा तो उन्होनें कोई परवाह नही की ऐसी स्थिति में वादिया एवं प्रतिवादी संख्या एक से आठ के मध्य जरिये प्रतिवादी संख्या नौ विभाजन कराया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की शाश्वत निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना आवश्यक है कि वे वादिया के कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप नहीं करे, बिना विधिक विभाजन हुए मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे, मौकी स्थिति को परिवर्तित नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.08.07 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested

करें, यह कार्य न तो स्वयं करे न ही अपने परिजनों एजेन्टों नौकरो इत्यादि से ही करावें। वादकारण विरूद्ध प्रतिवादीगण दिनांक 05–03–2022 को उत्पन्न हुआ जबकि प्रतिवादीगण द्वारा मौके पर जबरन बिना विधिक विभाजन कराये वादीगण के कब्जे वाली भूमि के काफि अन्दर जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करने पर आमदा हुए। वादिया द्वारा मनाही करने पर कोई परवाह नहीं की और मौके पर लड़ाई–झगड़ा करने पर आमदा हुए और जबरन वादिया के कब्जे वाली भूमि पर भी निर्माण करने की धमकी दी तथा निरन्तर जारी हैं।

अतः वादिया इस वाद के जरिये निम्न अनुतोष की प्रार्थना करती है कि वाद – पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित मौजा राजस्व ग्राम खजुरी, पटवार क्षेत्र बारापाल तहसील–गिर्वा, जिला उदयपुर की वादग्रस्त आराजीयात की भूमि का वादिया का 2/3 दर्ज हिस्से से एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से आठ के नाम खाते में दर्ज हिस्से से जरिये प्रतिवादी संख्या 9 विभाजन कराया जावें तथा तद्नुसार राजस्व अभिलेखों में वादिया के नाम स्वतन्त्र खाते में दर्ज कराया जावें तथा लगान का भी बरफाल कराया जावें तथा वादग्रस्त भूमि विभाजन के पश्चात् वादिया के हिस्से में जो भूमि आवे उस बाबत् प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावें कि विवादग्रस्त भूमि के वादिया के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, वादिया के हिस्से में किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें, यह कार्य न तो स्वयं करें, न अपने नौकर एजेन्ट रिश्तेदार ही करावें।

प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.2023 को वादी का वाद प्रारंभिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को मौका कमिश्नर नियुक्त कर पक्षकारों के मध्य उभयपक्ष की उपस्थिति में बंटवाडा कर बंटवाडा रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। तहसीलदार गिर्वा द्वारा पक्षकारों को जरिये सूचना पत्र सूचित कर पत्रांकः राजस्व ए/2024/65 दिनांक 29.01.2024 द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिस पर वादी द्वारा सहमति प्रदान की गई एवं प्रतिवादीगण उपस्थित नहीं हुए एवं न ही प्रतिवादीगण द्वारा प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट पर किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि वादी एवं प्रतिवादी प्रस्तुत पालना रिपोर्ट से सहमत हैं। अतः प्रस्तुत प्रारम्भिक डिक्री पालना रिपोर्ट अनुसार :–

1–दुर्गा पत्नी बाबुलाल जाति [illegible] खातेदार

| आ.स. | रकबा | लगान |
| --- | --- | --- |
| 6255 | 1.0300 | 1.49 |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.08.07 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested

| | | |
|---|---|---|
| 6256 | 0.0100 | 0.01 |
| 6260/1 | 0.6533 | 1.06 |
| किता 3 | रकबा 1.6933 | लगान 2.56 |

2–उंकार पुत्र चतरा जाति मीणा हि. 1/2, निवासी बारापाल तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, नाकुड़ा पुत्र भेरा जाति मीणा हि. 1/12, परथा पुत्र भेरा जाति मीणा हि. 1/12, मु. जवेरी पत्नि हकरा जाति मीणा, हि. 1/20, **रामा पुत्र हकरा की बजाय** थावरा पिता स्व. रामा हि. 1/60, अशोक पिता स्व. रामा हि. 1/60, श्रीमती लालकी पतिनी स्व. रामा हि. 1/60, जाति मीणा, **लक्ष्मण पुत्र भेरा की बजाय –** पप्पु पिता स्व. लक्ष्मण हि. 1/24, प्रकाश पिता स्व. लक्ष्मण हि. 1/24, शान्तिलाल पुत्र हकरा हि. 1/20 सोमा पुत्र हकरा हि. 1/20, **हरजी पुत्र हकरा की बजाय–** जगदीश पिता स्व. हरजी हि. 1/20, जाति मीणा, निवासीयान – खजुरी, हामा फला (बारापाल) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

| आ.स. | रकबा | लगान |
|---|---|---|
| 6260/2 | 0.8467 | 1.12 |
| किता 1 | रकबा 0.8467 | लगान 1.12 |

उक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व ग्राम ग्राम खजुरी, पटवार क्षेत्र बारापाल तहसील – गिर्वा, जिला उदयपुर में निम्नलिखित आराजी संख्या 6255, 6256, 6260 कुल किता– 3 कुल रकबा 2.5400 हेक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8/1 को इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीया के हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार से दखलअदाजी नहीं करें। तहसीलदार बारापाल तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। फाईनल डिक्री जारी हो।

निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

**(रिया डाबी)**
**आई.ए.एस.**
**उपखण्ड अधिकारी**
**गिर्वा– उदयपुर**

Signature Not Verified

Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.08.07 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर
प्रकरण संख्या 67/2022 वाद
अनवान दुर्गा बनाम उंकार व अन्य
2022/ प्रा. डिक्री वाद धारा 53, 188 RTA

# डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई

## (आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस. मुकद्मा 67/2022 सन 2022 सीगह वाद श्रीमती दुर्गा बनाम उंकार व अन्य वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का

यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रिया डाबी, आई.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वादी अधिवक्ता भुरालाल डांगी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि :–
1–दुर्गा पत्नी बाबुलाल जाति मीणा पनवाकला बारापाल खातेदार

| आ.स. | रकबा | लगान |
|---|---|---|
| 6255 | 1.0300 | 1.49 |
| 6256 | 0.0100 | 0.01 |
| 6260/1 | 0.6533 | 1.06 |
| किता 3 | रकबा 1.6933 | लगान 2.56 |

2–उंकार पुत्र चतरा जाति मीणा हि. 1/2, निवासी बारापाल तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर, नाकुड़ा पुत्र भेरा जाति मीणा हि. 1/12, परथा पुत्र भेरा जाति मीणा हि. 1/12, मु. जवेरी पत्नि हकरा जाति मीणा, हि. 1/20, **रामा पुत्र हकरा की बजाय** थावरा पिता स्व. रामा हि. 1/60, अशोक पिता स्व. रामा हि. 1/60, श्रीमती लालकी पतिनी स्व. रामा हि. 1/60, जाति मीणा, **लक्ष्मण पुत्र भेरा की बजाय –** पप्पु पिता स्व. लक्ष्मण हि. 1/24, प्रकाश पिता स्व. लक्ष्मण हि. 1/24, शान्तिलाल पुत्र हकरा हि. 1/20 सोमा पुत्र हकरा हि. 1/20, **हरजी पुत्र हकरा की बजाय–** जगदीश पिता स्व. हरजी हि. 1/20, जाति मीणा, निवासीयान – खजुरी, हामा फला (बारापाल) तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

| आ.स. | रकबा | लगान |
|---|---|---|
| 6260/2 | 0.8467 | 1.12 |
| किता 1 | रकबा 0.8467 | लगान 1.12 |

उक्तानुसार वादीया एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजस्व ग्राम ग्राम खजुरी, पटवार क्षेत्र बारापाल तहसील – गिर्वा, जिला उदयपुर में निम्नलिखित आराजी संख्या 6255, 6256, 6260 कुल किता– 3 कुल रकबा 2.5400 हेक्टेयर भूमि का बंटवाडा कर वादी का वाद फाईनल डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 से 8/1 को इस आशय की स्थाई निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीया के हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार से दखलअदाजी नहीं करें। तहसीलदार बारापाल तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। बंटवारा रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा।

और इस वाद के खर्चे लेखे ..................रुपये की राशि.................आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ................प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ............द्वारा ............ .......को दी जाए।

यह आज तारीख ..................................... माह .............. सन् ............................ को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

(अनवान सूची सलंग्न है)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.08.07 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested

न्यायाधीश ..................................
पद ..................................................

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गिर्वा, जिला–उदयपुर
## पीठासीन अधिकारी रिया डाबी, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 67/2022 वाद GCMS No. 2022/

श्रीमति दुर्गा पत्निश्री बाबुलालजी जाति मीणा उम्र 38 वर्ष निवासी– पानवा फला बारापाल तहसील– गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)

वादीया

बनाम

1. श्री उँकार पिताश्री चतराजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– बारापाल तह0 गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज0)
2. श्री नाकुड़ा पिताश्री भेराजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी – खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
3. श्री परथा पिताश्री भेराजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह0 गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
4. श्री रामा पिताश्री हकराजी मृतक के बजाय
   4/1 श्री थावरा पितास्व०श्री रामाजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज0)
   4/2 श्री अशोक पिता स्व०श्री रामाजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज0)
   4/3 श्रीमति लालकी पत्नि स्व०श्री रामाजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज0)
5. श्री लक्ष्मण पिता श्री भेराजी जाति मीणा मृतक के बजाय
   5/1 श्री पप्पु पितास्व०श्री लक्ष्मणजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरीहामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
   5/2 श्री प्रकाश पितास्व० श्री लक्ष्मणजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
6. श्री शान्तिलाल पिताश्री हकराजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
7. श्री सोमा पिताश्री हकराजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला–उदयपुर (राज0)
8. श्री हरजी पिताश्री हकराजी जाति मीणा मृतक
   8/1 श्री जगदीश पितास्व०श्री हरजी जाति मीणा उम्र वयस्क निवासी– खजुरी हामा फला (बारापाल) तह० गिर्वा, जिला– उदयपुर (राज0)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा जिला उदयपुर (राज0)

प्रतिवादीगण

**वाद के खर्चे**

| वादी | रुपया | पैसे | प्रतिवादी | रुपया | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | | स्टाम्प प्रार्थना पत्र | | |
| स्टाम्प वकालात नामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | | प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | |
| मेहनताना वकील ) पर | | | मेहनताना वकील ) पर | | |
| खर्चा गवाह | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| आदेशिका की तामील | | | अ[illegible]ी तामील | | |
| विविध खर्चे | | | [illegible] | | |
| योग | | | योग | | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Ria Dabi
Date: 2024.08.07 10:46:08 IST
Reason: SelfAttested